

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 35/2019 राजस्व अपील

1. पप्पू पुत्र जैना जाति माली निवासी उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।  
रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय दिनांक 08.09.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम पप्पू प्रकरण सं. 05/2018 अ. धारा 91 राज. लै. रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।  
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक: 07.08.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा में अपीलान्त के विरुद्ध एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्त ने सम्वत 2075 खरीफ में ग्राम बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नं. 494 के रकबा 0.20 है0 किस्म गै. मु. तलाई पर बाजरे की फसल काशत कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बिना कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिये ही अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.09.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्त ने किसी भी सरकारी गै. मु. तलाई की भूमि पर ना तो कोई अतिक्रमण किया है न कोई काशत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित नहीं किया है कि किस चीज की फसल काशत की है। जिससे यह भी स्पष्ट



*(Handwritten signature)*  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
दौसा



प्रकरण संख्या : 35 / 2019 राजस्व अपील

है कि अपीलान्त ने किसी भी सरकारी भूमि पर ना तो कोई अतिक्रमण किया है न काश्त की है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 08.09.2018 निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त ने संवत् 2075 खरीफ में ग्राम बहरावण्डा में स्थित भूमि खसरा नं. 494 रकबा 0.20 है० किस्म गै. मु. तलाई पर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.09.2018 को बेदखल करने एवं तीन माह (90 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत भूमि राजकीय सिवायचक गै. मु. तलाई की भूमि है। जिस पर अपीलान्त ने सम्वत् 2075 खरीफ में बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 08.09.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुकदमा नम्बर 05 / 2018 उनवानी सरकार बनाम पप्पू में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2018 के विरुद्ध अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( लोकेश कुमार मीना )  
अति० जिला कलेक्टर, दौसा

( लोकेश कुमार मीना )  
अति० जिला कलेक्टर, दौसा

